# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

प्रा0पत्र सं0 01/2023 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी दौसा जिला दौसा
..प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजूलाल मीना पुत्र श्री शंकरलाल मीना निवासी जीरोता कलां तहसील दौसा जिला दौसा
2. श्री रामावतार गुर्जर पुत्र श्री हजारीलाल गुर्जर निवासी जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार
2. श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।

जब्तशुदा 09 घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी. 69.00 किलोग्राम व अन्य सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने बाबत।

## निर्णय

दिनांकः 26.03.2025

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा मय प्रवर्तन दस्ते एवं थानाधिकारी पुलिस थान सदर दौसा के द्वारा दिनांक 13.1.2023 को रामावतार गुर्जर द्वारा घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर से गैस रिफलिंग करते हुए पाया गया। मौके पर पाये गये कुल 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 69.00 किलोग्राम एल0पी0जी0 एवं अन्य सामग्री को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख प्राप्त किया गया।
3. विभागीय पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 6 ए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि घरेलू एल.पी.जी. गैस के अवैध भंडारण व रिफलिंग की शिकायत थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा के द्वारा दूरभाष पर सूचना प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी दौसा मय प्रवर्तन स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 13.1.2023 को ग्राम जीरोता कलां में रेलवे फाटक से पहले स्थित मकान पर पहुँचे। मौके पर पुलिस थाना सदर के कांस्टेबल मनदीप कुमार उपस्थित मिले। कान्स्टेबल ने बताया कि मौके पर रामोतार गुर्जर पुत्र हजारीलाल गुर्जर मारूती वैन में एल.पी.जी. गैस अवैध रिफलिंग करते हुए पाये गये। इसके अलावा दो अन्य मारूती वैन एल.पी. जी. रिफलिंग करवाने हेतु खडी थी। मौके पर पुलिस टीम द्वारा गैस सिलेण्डरों व तीनों मारूती वैन के ड्राईवरों को अपनी कस्टडी में लिया हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित श्री रामावतार गुर्जर पुत्र हजारीलाल गुर्जर निवासी जीरोता खुर्द उपस्थित मिले। मौके पर श्री रामावतार गुर्जर मारूती वैन में एल.पी.जी. गैस की अवैध रिफलिंग करते हुए पाया गया। मौके पर दो मारूती वैन रिफलिंग करवाने हेतु मौके पर खडी मिली। मौके पर मकान में घरेलू गैस एल.पी. जी. के 09 सिलेण्डर रखे हुए पाये गये जिनमें से 7 सिलेण्डर सीलयुक्त व पूर्ण भरे हुए तथा 2 सिलेण्डर आंशिक रूप से खाली पाये गये। मौके पर गैस रिफलिंग व गैस अन्तरण में प्रयुक्त दो बिजली की मोटर मय पाईप, नोजल व रिफलिंग उपकरण भी पाये गये। मौके पर रिफलिंग करते पाये जानी वाली मारूती वैन क्रमशः आरजे 14 यूसी 9301 बाबू लाल मीणा वाकन चालक व आरजे 14सीडी 5347 राधेश्याम मीणा, आरजे 14 यू[illegible]8 जसवंत सिंह गुर्जर है। मौके पर ही आर्शीवाद गैस ऐजेन्सी दौसा के मैनेजर श्री अशोक [illegible] को बुलवाकर इनके साथ उपस्थित डिलिवरी मैन से गैस सिलेण्डर तोल कर करवाई गई। 09 सिलेण्डरों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

कुल 69 किलोग्राम गैस पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि रामोतार गुर्जर द्वारा मकान पर अवैध रूप से घरेलू एल.पी.जी. गैस का भंडारण, रिफलिंग, अन्तरण व विक्रय का कार्य किया जाता है। मौके पर प्राप्त सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| कसं | सिलेण्डर श्रेणी | नाम गैस कंपनी | सीरियल नंबर | खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम) | कुल वजन (किलोग्राम) | शुद्ध गैस का वजन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | घरेलू | बीपीसीएल | 282983 एस | 15.6 | 29.4 | 13.8 |
| 2 | घरेलू | बीपीसीएल | 138741 एस | 15.7 | 29.6 | 13.7 |
| 3 | घरेलू | बीपीसीएल | 429653 एस | 15.7 | 29.4 | 13.7 |
| 4 | घरेलू | बीपीसीएल | 551718 ई | 15.6 | 29.4 | 13.8 |
| 5 | घरेलू | बीपीसीएल | 332519 टी | 15.3 | 29.1 | 13.8 |
| 6 | घरेलू | बीपीसीएल | 445885 टी | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 7 | घरेलू | बीपीसीएल | 148500 टी | 15.5 | 15.5 | 0 |
| 8 | घरेलू | बीपीसीएल | 533594 एस | 15.6 | 15.7 | 0.10 |
| 9 | घरेलू | बीपीसीएल | 978880 एस | 15.8 | 15.9 | 0.10 |
| | | कुल योग | | | | 69.00 |

इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्त 9 घरेलू सिलेण्डरों एवं उनमें भंडारित 69.00 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस, दो बिजली की मोटर मय रेगूलेटर व पाईप तथा तौलने की हैगिंग स्केल को सुरक्षा की दृष्टि से आर्शीवाद गैस ऐजेन्सी दौसा के मैनेजर को सुपुदर्गी में दिया गया। इसके साथ मौके पर जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तन स्टाफ के नेतृत्व में तीनों मारूती वैन तब्त करके पुलिस थाना सदर दौसा में मय ड्राइवर लाया गया व सुरक्षा के लिए थानाधिकारी पुलिस थान सदर के निर्देशानुसार पुलिस थान सदर के हैड कानि0 श्री नरेन्द्र की सुपुर्दगी में दिया गया। श्री रामावतार गुर्जर द्वारा गैस भंडारण के संबंध में किबसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर घनी आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से गैस रिफलिंग व विक्रय का करोबार किया जाना पाया गया। उक्त अनियमितता करके श्री रामावतार गुर्जर द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के खंड 3, 4, 5, 6, 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 69.00 किलोग्राम तथा दो बिजली की मोटर मय रेगूलेटर व पाईप व तौलने की हैगिंग स्केल तथा 03 मारुती वैन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा प्रकरण में 09 गैस सिलेण्डरों को जब्त कर रखा है। दिनांक 13.1.2023 को अप्रार्थी राजूलाल के जलवा पूजन (सामूहिक भोज) का कार्यक्रम था जिसके लिए रिश्तेदारों व आस पडौसियों से 09 सिलेण्डर इकट्ठे किये गये थे। रसद विभाग व पुलिस विभाग द्वारा जो 6 ए की कार्यवाही की गई है वह बिल्कुल गलत है। क्योंकि अप्रार्थी राजूलाल ने कोई अवैध काम के लिए सिलेण्डर इकट्ठे नहीं किये थे बल्कि जलवा पूजन की भोजन सामग्री बनाने के रिश्तेदारों व पडौसियों से लेकर सिलेण्डर इकट्ठे किये थे। अतः अप्रार्थी राजूलाल के विरूद्ध उक्त 6 ए की कार्यवाही ड्रॉप फरमावें एवं उक्त 9 सिलेएडरों को सुपुदर्गी पर देने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी सं0 2 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से [illegible] विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने विभागीय पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि घरेलू एल.पी.जी. गैस के अवैध भंडारण व रिफलिंग की शिकायत थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा के द्वारा दूरभाष पर सूचना प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी दौसा मय प्रवर्तन स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 13.1.2023 को ग्राम जीरोता कलां में रेलवे फाटक

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से पहले स्थित मकान में मौके पर रामोतार गुर्जर पुत्र हजारीलाल गुर्जर मारूती वैन में एल.पी.जी. गैस अवैध रिफलिंग करते हुए पाये गये। इसके अलावा दो अन्य मारूती वैन एल.पी.जी. रिफलिंग करवाने हेतु खडी थी। साथ ही मौके पर मकान में घरेलू गैस एल.पी.जी. के 09 सिलेण्डर रखे हुए पाये गये जिनमें से 7 सिलेण्डर सीलयुक्त व पूर्ण भरे हुए तथा 2 सिलेण्डर आंशिक रूप से खाली पाये गये। मकान में गैस रिफलिंग व गैस अन्तरण में प्रयुक्त दो बिजली की मोटर मय पाईप, रैगूलेटर व तौलने की हैगिंग स्केल भी पाये गये। इससे स्पष्ट होता है कि रामोतार गुर्जर द्वारा मकान पर अवैध रूप से घरेलू एल.पी.जी. गैस का भंडारण, रिफलिंग किया जाना सिद्ध होता है। श्री रामोतार गुर्जर के पास सिलेण्डरों के भंडारण बाबत किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र नहीं था। एलपीजी गैस सिलेण्डरों से वाहन में अन्तरण का यह कार्य सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि एलपीजी गैस अत्यन्त ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ है। इस प्रकार श्री रामोतार गुर्जर द्वारा एल0पी0जी0 आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी रामोतार गुर्जर ने मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मौके पर गैस रिफलिंग/अन्तरण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाले उपकरण मय पाईप व रेगूलेटर भी पाया गया है। घनी आबादी क्षेत्र पर दुकान का निरीक्षण करने पर एल.पी.जी. गैस घरेलू सिलेण्डर से अवैध गैस अन्तरण किया जाना स्पष्ट प्रमाणित होता है, जो अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का उक्त कृत्य **L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order**, 2000 के खंड 3, 4, 5, 6, 7 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी सं0 2 का यह कथन कि दिनांक 13.1.2023 को अप्रार्थी राजूलाल के जलवा पूजन (सामूहिक भोज) का कार्यक्रम था जिसके लिए रिश्तेदारों व आस पडौसियों से 09 सिलेण्डर इकट्ठे किये गये थे। लेकिन इस कथन को सिद्ध करने में अप्रार्थी सं0 2 असफल रहे है। साथ ही 03 माझती वैन को पूर्व में सुपुदर्गी पर दी जा चुकी है। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित जब्त शुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 69.00 किलोग्राम तथा दो बिजली की मोटर मय पाईप, रैगूलेटर व तौलने की हैगिंग स्केल को राजसात (**Confiscate**) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:16 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा